7/3/18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत 2018 के अन्तर्गत
कैम्प डोलिया के पेश हुई। हमने पत्रावली पर उपलब्ध
समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया इनमे हम
इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण के मूल विवाद
रास्ते से सम्बन्धित है। यह सार्वजनिक हित से जुड़ा
हुआ मामला है। प्रकरण कि संवेदनशीलता को
देखते हुए पीठासीन अधिकारी एवं कैम्प प्रभारी
द्वारा पटवारी हल्का के साथ ग्राम डोल्या से
किशनपुरा, पृथ्वीपुरा व जयपुरा की ओर जा रहे
रास्ते का मौका देखा गया। मौके की तहसीलदार
लाडपुरा से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट वर्तमान
में खातेदारी भूमियो ख.नं. 230, 494/858, 492,
440, 442, 443, 431, व 428 की पश्चिमी मेड़ के सहारे
से व ख.नं. 427, 424, 423, 419, 418, 415 के मध्य
से व 415 की दक्षिणी दिशा व 398 व 399 से होकर
10 फीट चौड़ा रास्ता बना हुआ है जो कच्चा है व
आने जाने के काम आ रहा है। राजस्व नक्शे अनुसार
उक्त रास्ते का अन्य कोई विकल्प नही है। वर्तमान में
मौके पर उक्त रास्ता चालू है। मौका रिपोर्ट से स्पष्ट
है कि उक्त रास्ते से ग्राम डोलिया, किशनपुरा पृथ्वीपुरा
वासियो के सार्वजनिक हित जुड़े हुऐ है उक्त रास्ते
का अन्य कोई विकल्प भी उपलब्ध नही है।
प्रार्थीगण द्वारा इस आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश
किया गया है कि प्रकरण मे अस्थायी निषेधाज्ञा
होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा आदेश की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पालना नहीं की गयी है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश का अवलोकन किया उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 9/6/2011, दावे के निर्णय तक प्रदान की गयी थी। चूंकि उक्त विवादित आराजी के मूल वाद का निर्णय किया जाकर प्रकरण खारिज किया जा चुका है जिससे प्रकरण के जारी अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही समाप्त हो चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आर्डर 39 रूल 2A CPC अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो -	